



दिनांक	आज्ञा पत्र	
24-7-19	<p>पत्रावली प्रस्तुत अधिवक्ता सच ने आज पेटासीन पर है। अतः को पेश हो।</p> <p>25-9-19</p>	
25-9-19	<p>पत्रावली प्रस्तुत अधिवक्ता सच ने आज न्यायिक कार्य स्थापित रखा। पत्रावली पुनः दिनांक 13-11-19 को पेश हो।</p>	
13-11-19	<p>पत्रावली प्रस्तुत अधिवक्ता सच ने आज न्यायिक कार्य स्थापित रखा। पत्रावली पुनः दिनांक 8-1-20 को पेश हो।</p>	
8-1-20	<p>पत्रावली पेश। वकील अपीलांट को हिदायत दी जाती है कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रैस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जायेगी। तहत का रिकार्ड प्राप्त शामिल पत्रावली रहे / तलब किया जायें। पत्रावली वारंते तलबी दिनांक 9-1-20 को पेश हों। पत्रावली में पूर्व में यदि स्थगन है तो उसे आगामी तिथि तक बढ़ाया जाता है।</p>	<p>8-1-20</p> <p>8-1-20</p>
9-1-20	<p>पत्रावली पेश। वकील अपीलांट एवं अपीलांट स्वयं को बार बार आवाज दिलाई गई न्यायालय समय सांयकाल 6 बजे तक बार बार दिलाई गई। इन्तजार किया गया उसके बावजूद अपीलांट एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे फलस्वरूप अपील अपीलांट अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।</p> <p>श्री. अजय कुमार अधिवक्ता एवं पटेल राजारथ अपीलांट अधिकारी सीकर (कैम्प सुन्दर)</p>	